(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 63/2024

पंजीकरण सं. :– 2024/147

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

दानिश अहमद उम्र 27वर्ष पुत्र नफीस अहमद जाति मुस्लिम निवासी वार्ड नं. 21, अलीगंज बाजार, इदरिश वकील की गली, छबड़ा जिला बारां राज0 (विक्रेता) मैसर्स दानिश अहमद (मोबाईल वेण्डर) हाल ही पुलिस थाना, छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) मो.नं. 9828682892

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 15.10.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2023 को मैसर्स दानिश अहमद (मोबाइल वेण्डर) हाल ही पुलिस थाना, छीपाबड़ौद जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर दानिश अहमद पुत्र नफीस अहमद (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** 30–35 किग्रा बेग में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** 01 किग्रा. एक साफ–सूखे व स्टील की ट्रे में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत दानिश अहमद पुत्र नफीस अहमद (विक्रेता) को 360/– रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) को स्टील की ट्रे में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक [illegible] की 20–20 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डीओ कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1935 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाह के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डीओ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1935 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे दानिश अहमद पुत्र नफीस अहमद (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/515 दिनांक 01.12.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1979/PHL/kota/Act/2023/1991 दिनांक 17.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(ZZ)(Viii) के तहत असुरक्षित (अनसेफ) होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाई गई जो निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की रिपोर्ट संख्या 113F/FSSA/2024 दिनांक 17.04.2024 के अनुसार धारा 3(1)(Zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 02.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन शीशीयों में सेम्पल लेना बताया है, वह मौके पर स्वयं प्रार्थी के द्वारा साफ नहीं की गई है। खाद्य विश्लेषक एवं रेफरल लेब की जांच रिपोर्टों में अंतर है तथा राय भी पृथक है। इससे स्पष्ट है कि सेंपल लेते समय एफएसएस एक्ट एवं आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विश्लेषक द्वारा कथित नमूने की दिनांक 14.11.2023 से दिनांक 17.11.2023 तक जांच की गई है तथा रेफरल लेब द्वारा दिनांक 19.01.2024 से दिनांक 18.03.2024 तक जांच की गई है परंतु उक्त अवधि के प्रतिदिन के परिणाम रिपोर्टस में दर्शित नहीं है। रिपोर्ट प्रमाणित नहीं है। परिवादी द्वारा परिवाद मे हीं दर्ज किया है कि 1:30 पी.एम. पर हीं इसी पदार्थ का अन्य सेंपल लिया गया है जिसका प्रकरण संख्या 64/2024 भी इसी न्यायालय में पेश किया है, जो संभव नहीं है। दोनों प्रकरणों की रिपोर्ट भी अलग–अलग है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा कहा गया कि सी.एम.एच. ओ., छीपाबड़ौद को दूरभाष पर स्थानीय पुलिस द्वारा मि[illegible] होने पर 30–35 किलो पनीर पकड़ने की सूचना प्राप्त हुई जिसके नमूनीकरण के लिए दिनांक 02.1[illegible]3 को मैं पुलिस थाना, छीपाबड़ौद पहुंचा। वहां पर अप्रार्थी एवं पनीर से भरा बैग रखा था। नमूनीकरण के लिए पनीर को बैग से बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्ट्या पनीर खाने योग्य नहीं दिख रहा था। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि पनीर खाने योग्य नहीं है, बदबूदार होने की वजह से इसको नष्ट कर दिया जाये। अतः अप्रार्थी की सहमति से गवाहो के समक्ष नियमानुसार नष्ट करने की कार्यवाही की गई। उक्त खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) की दो बार पृथक–पृथक लेबोरेट्री में जांच हुई जिसमें एक बार अनसेफ पाया गया एवं दूसरी बार अवमानक पाया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रकरण में एक हीं खाद्य पदार्थ पनीर के एक हीं समय में एक हीं व्यक्ति से दो सेम्पल क्यों लिये गये जिसका जवाब है कि उक्त खाद्य पदार्थ पनीर दो पृथक–पृथक पैकेट में रखा हुआ था।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर (खुला)** निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की रिपोर्ट संख्या 113F/FSSA/2024 दिनांक 17.04.2024 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 50,000/– रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested